

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-05/01/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में इको-पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-02, बेतिया में इको पर्यटन के विकास हेतु मोटर बोट, टिकट काउंटर एवं यात्री शेड निर्माण कार्य हेतु कुल ₹89.07 लाख (नवासी लाख सात हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 में इको-पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-02, बेतिया में इको पर्यटन के विकास हेतु मोटर बोट, टिकट काउंटर एवं यात्री शेड निर्माण कार्य हेतु कुल ₹89.07 लाख (नवासी लाख सात हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-1304 दिनांक-19.12.2024 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव, लघु शीर्ष-112-सार्वजनिक उद्यान, उपशीर्ष-0101 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406021120101 के विषय शीर्ष-0101.02.01-मजदूरी तथा 0101.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-02, बेतिया होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
14. संचिका संख्या-484/2024 के पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-30.12.2024 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-31.12.2024 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
15. संचिका संख्या-484/2024 के पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-01.01.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति एवं संचिका के पृष्ठ-05/टि० पर दिनांक-03.01.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-484/2024- 57 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-05/01/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-484/2024- 57 /प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-05/01/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल-02, बेतिया।						
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना अन्तर्गत ईको-टूरिज्म अंतर्गत सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव।						
क्र.सं.	कार्य विवरण	प्रक्षेत्र	ईकाई	ईकाई दर	राशि	अभियुक्ति
1	ईको-टूरिज्म कार्य हेतु मोटरबोट का क्रय (छोटा)- 01 अदद FRP BOAT design model 'Anaconda' of size 7.5 cm*2.5*0.62m with carrying capacity of 10+2 persons FITTED WITH 50 HP Suzuki outboard motor, four stroke, electric start, with remote control steering system, with 12v battery. (All Taxes included)	वाल्मीकिनगर	1	1499000	1499000	अनु0-01 (कोटेशन संलग्न)
2	ईको-टूरिज्म कार्य हेतु मोटरबोट का क्रय (बड़ा)- 02 अदद FRP BOAT design of minimum size 8.75m*3m*1.1m with carrying capacity of 25 people fitted with 60HP Suzuki outboard motor, four stroke, electric start, with remote control steering system, with 12 v battery. (All Taxes included)	वाल्मीकिनगर	2	2979500	5959000	अनु0-02 (कोटेशन संलग्न) S.I. 1 & 2 (Boat specifications attached with Quotation-02)
3	ईको-टूरिज्म कार्य हेतु FLOATING JETTY का क्रय (01 अदद) Construction and supply of HDPE floating Jetty of size 6m*2.5m. (All Taxes included)	वाल्मीकिनगर	1	600000	600000	अनु0-03 (कोटेशन संलग्न)
4	ईको-पर्यटन कार्य हेतु टिकट काउन्टर का निर्माण (01 अदद)	वाल्मीकिनगर	1	350000	350000	अनु0-04 (कोटेशन संलग्न)
5	ईको-टूरिज्म कार्य हेतु यात्री शेड का निर्माण	वाल्मीकिनगर	1	499511	499511	अनु0-05 (कोटेशन संलग्न)
कुल योग :-					8907511	

कुल 8907511/- (नवासी लाख सात हजार पाँच सौ ग्यारह रु. मात्र)

समर्पित :-

वनो के क्षेत्र पदाधिकारी,
वाल्मीकिनगर वन प्रक्षेत्र

समर्पित :-

कुल 8907511/- (नवासी लाख सात हजार पाँच सौ ग्यारह रु. मात्र)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमण्डल-02, बेतिया।

तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त :-

कुल 8907511/- (नवासी लाख सात हजार पाँच सौ ग्यारह रु. मात्र)

वन संरक्षक -सह- क्षेत्र निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

Countersigned
Director
Ecology & Environment, Patna